न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–23 / 2019–20

प्रथम पक्षः–बिंजो गोईन्दी, ग्राम–कारो (बन्हें) थाना–पिपरवार, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–मिसेज मायावती देवी, ग्राम–कारो (बन्हें), थाना–पिपरवार, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा भेजे गए अभिलेख विविध वाद संख्या–06 / 2013–14 में पारित किए गये आदेश एवं उनके अनुशंसा के आलोक में इस न्यायालय में प्रारम्भ किया गया। इस वाद में प्रथम पक्ष बिंजो गोइन्दी, पति–नन्दा टाना भगत, साकिन–कारो तथा द्वितीय पक्ष मिस मायावती देवी, पति–राधा गोविन्द प्रसाद एवं जितु उरांव, पिता–भीखु उरांव, सनिया उरांव, पिता–जागो उरांव, एतवा उरांव, पिता–जागो उरांव एवं बंशी उरांव, पिता–रतिया उरांव सभी साकिन–कारो, बन्हें, थाना–पिपरवार है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	रकबा
देह, टोला–ढबढा, मांडर (बन्हें)	25	121, 122, 124, 127, 128, 130, 131	3.59 ए0, 0.95 ए0, 0.48 ए0, 0.82 ए0, 0.80 ए0, 0.71 ए0, 0.01 ए0
		कुल रकबा–	6.36 एकड़

अंचल अधिकारी, टण्डवा ने उपरोक्त खाता प्लॉट की भूमि के संदर्भ में दिनांक–11.10.2017 को आदेश पारित कर यह उल्लेख किया है कि प्रश्नगत खाता–प्लॉट की भूमि का सर्वे खतियानी रैयत धुमला उरांव, पिता–सुमर उरांव है। सर्वे रैयत के वंशजों का दखल–कब्जा उक्त भूमि पर नहीं है और न हीं पंजी–2 में कभी जमाबन्दी कायम हुआ है और न हीं सरकारी लगान रसीद कटा है। जिन लोगों के नाम से रसीद कट रही है, वह खतियानी रैयत के वंशज नहीं है। मिस मायावती देवी के नाम से जमाबन्दी कैसे कायम हुई थी, यह भी पंजी–2 में दर्ज नहीं है। प्रथम पक्ष बिंजो गोइन्दी ने खतियानी रैयत के वारिशान के आधार पर जमाबन्दी कायम करने का यद्यपि उनके न्यायालय में अवेदन दिया, जिसके कारण उपरोक्त स्थिति का उल्लेख कर CNT Act के प्रावधानों के आलोक में अंचल अधिकारी ने अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस न्यायालय को भेजा।

अंचल अधिकारी से अभिलेख प्राप्त होने पर इस न्यायालय से सभी पक्षकारों को नोटिस दिया गया तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया। प्रथम पक्ष बिंजो गोइन्दी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को लिखित कथन देकर यह

बताया कि प्रश्नगत खाता–प्लॉट का जमाबन्दी रैयत धुमला उरांव, पे0–सुकर उरांव हैं, लेकिन मिस मायावती ने गलत ढंग से इस भू–खण्ड की जमाबन्दी कायम करा लिया। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वैध वारिशान हैं। वंशावली दर्शाकर यह भी जानकारी दिया है कि धूमला उरांव के पुत्र लक्ष्मण उरांव हुए। लक्ष्मण उरांव की पुत्री बिंजो गोइन्दी है। इनका कथन है कि नन्द टाना भगत इस भूमि पर दखलकार थे, लेकिन मिस मायावती देवी तथा उसके पति–राधा गोविन्द प्रसाद ने वर्ष–2010 में उन्हें इस भूमि से बेदखल कर दिया। विपक्षी सं0–2–5 तक के बारे में भी इन्होंने उल्लेख किया है कि इन्होंने प्रथम पक्ष की भूमि हड़पने की नीयत से फर्जी कागजात तैयार कर लिए हैं तथा भूमि पर कब्जा भी कर लिया है। प्रथम पक्ष ने अपनी खतियानी भूमि को CNT Act के प्रावधानों के आलोक में वापस करने तथा जमाबन्दी कायम करने और लगान रसीद निर्गत करने हेतु आग्रह किया है।

इस वाद की प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित कथन दाखिल कर यह बताया गया है कि प्रक्रिया से संबंधित भूमि की जमाबन्दी पंजी–2 मिस मायावती के नाम से हीं चल रहा था, परन्तु सिलिंग एक्ट के अन्तर्गत तत्कालीन बिहार सरकार को यह भूमि समर्पित कर दिया गया। सरकार की ओर से भूमिहीन रैयतों के बीच यह भूमि बन्दोबस्ती कर दी गई, जिसके कारण विपक्षी संख्या–2–5 की जमाबन्दी चलने लगी। उन्होंने यह भी लिखित कथन में उल्लेख किया है कि विपक्षी संख्या–1 अर्थात् मिस मायावती को यह भूमि नीलाम से कालान्तर में प्राप्त हुआ था, जिसके कारण पूर्व में मिस मायावती के नाम से जमाबन्दी चल रही थी। इनका कथन है कि प्रथम पक्ष का कभी भी इस भूमि पर दखल–कब्जा नहीं रहा है, बल्कि द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या–2–5 तक का हीं दखल–कब्जा पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है। इन्होंने प्रथम पक्ष के अभ्यावेदन को खारिज करने हेतु आग्रह किया है।

इस वाद की प्रक्रिया में मामले की गहन जांच पड़ताल हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमरिया श्री अजय भगत से स्थलीय जांच प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया। श्री अजय भगत कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमरिया ने पत्रांक–1139, दिनांक–25.11.2022 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। जांच प्रतिवेदन में कार्यपालक दण्डाधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि प्रश्नगत खाता–प्लॉट की भूमि पर एतवा उरांव, पिता–जागो उरांव, सनिया उरांव, पिता–स्व0 जागो उरांव, बंशी उरांव, पिता–स्व0 रतिया उरांव, जितु उरांव, पिता–स्व0 भीखु उरांव के वंशजों दखल–कब्जा है। ये लोग प्रश्नगत भू–खण्ड पर घर–मकान बनाकर रह रहे हैं तथा प्रधानमंत्री आवास भी बनाया जा रहा है। प्रश्नगत भू–खण्ड में तालाब एवं कूप का भी निर्माण किया गया है और खेती–बाड़ी भी किया जाता है। कार्यपालक दण्डाधिकारी ने तद्नुसार नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया है।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किये गए लिखित कथन तथा कार्यपालक दण्डाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भू–खण्ड के अन्तर्गत प्रथम पक्ष ने जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु जो अनुरोध किया है, वह इस कारण से नियमसंगत नहीं प्रतीत हो रहा है, कारण प्रश्नगत भू–खण्ड के अन्तर्गत हीं अन्य आदिवासी रैयतों का भी जमाबन्दी चल रहा है तथा उनका दखल–कब्जा भी है, जो पूर्वज काल से चला आ रहा है। जीतु उरांव के नाम पर 1.44 ½, सनिया उरांव के नाम पर 1.18 एकड़, एतवा उरांव के नाम पर 1.25 एकड़, बंशी उरांव के नाम पर 1.25 एकड़ भूमि की जमाबन्दी जब अंचल कार्यालय के पंजी–2 में चल रहा है और यह जमाबन्दी सरकारी बन्दोबस्ती पर्चा के आधार पर चल रहा है, तो वगैर सक्षम न्यायालय के आदेश का इस जमाबन्दी को निरस्त कर नया जमाबन्दी नहीं कायम किया जा सकता है। यह मामला सिविल प्रकृत्ति का प्रतीत हो रहा है तथा प्रथम पक्ष इसके लिए सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

03/12/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

03/12/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

P-25/2023-24

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.20 13:34:39 +05:30
Location: 192.168.209.12